


- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने भेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती का निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति प्राप्त की गयी है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सख्तों के नामों के अन्तर्गत प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सख्तों के नामों के अन्तर्गत निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


पूर्व इन्द्राज					उत्तर इन्द्राज किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
गुरपुरा	7	जैजूखं जा जससुखं जाति कायभरानी शैख अस्तुर	कुल किता 3	कुल 2 कठ 6-3)	जैजूखं जा जससुखं जाति कायभरानी शैख अस्तुर	कुल किता 3	कुल 2 कठ 6-3)

  
 अधिकारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डवाना)  
 दिनांक :-

क्रमांक :- 530/26.4.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

  
 अधिकारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डवाना)  
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का राधा लाल को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर